न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 252/2015

1. मुखपालसिंह
2. इकबालसिंह
3. मोहरसिंह
4. जसवीर कौर

पिसरान बलवंतसिंह उर्फ बंतासिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी लुबायणावाली तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरदेवसिंह उर्फ जगदेवसिंह
2. बलदेवसिंह

पिसरान नत्थासिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

3. गुरदीपसिंह पुत्र चंचलसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मोहनपुरा 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरमीतसिंह पुत्र चंचलसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मोहनपुरा 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सर्वजीतसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मोहनपुरा 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. पलविन्द्रसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी मोहनपुरा 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. दर्शनसिंह पुत्र चननसिंह पुत्र सेवासिंह उर्फ सोमासिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल गांव लुबायणावाली तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)।
8. जगराजसिंह पुत्र चननसिंह पुत्र सेवासिंह उर्फ सोमासिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल गांव लुबायणावाली तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)।

3/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

9. महेन्द्रसिंह पुत्र चननसिंह पुत्र सेवासिंह उर्फ सोमासिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल गांव लुबायणावाली तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)।
10. नसीब कौर बेवा सरजीतसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल गांव लुबायणावाली तहसील व जिला मुक्तसर (पंजाब)।
11. लखविन्द्रसिंह पुत्र रणधीरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी लुबायणावाली तहसील बरूवाला व जिला मुक्तसर (पंजाब)।
12. रविन्द्रसिंह पुत्र रणधीरसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी लुबायणावाली तहसील बरूवाला व जिला मुक्तसर (पंजाब)।
13. निर्मलजीत कौर पुत्री सरजीत सिंह पुत्र चननसिंह जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल गांव धिरागवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
14. तारसिंह पिसर गुरचरणसिंह पुत्र चननसिंह जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. बलराजसिंह पुत्र पिसर गुरजंटसिंह पुत्र चननसिंह जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. परमजीत कौर दुख्तर गुरजंटसिंह पुत्र चननसिंह जटसिख निवासी 4 बी छोटी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल उदयकरण तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
17. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 27.10.2015

उपस्थितिः—

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

3/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री काशीराम रणवां अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 03.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 4 बी छोटी के खाता सं. 11/12 मु.नं. 28 , 36, 40, 42, 45, की कुल 10.918 है0 में से वादीगण के हक व हिस्सा की 2.210है0 भूमि है जिसपर अप्रार्थीगण का नाजयज कब्जा काश्त चल रहा है एवं वे उक्त भूमि का लाभ उठा रहें हैं। भूमि को खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है। अतः वादीगण/प्रार्थीगण की 2.210है0 भूमि पर वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त किया जावे।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का 1972 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण इस भूमि को न तो मुन्तकिल करना चाहते हैं और न ही खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण के दादा इस भूमि के खातेदार कृषक थे। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.10.2015 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीगण इस भूमि का नाजायज लाभ उठा रहें हैं। प्रार्थीगण ने अधी. न्यायालय में विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का प्रा.पत्र पेश किया था जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर

3/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलांट का प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर रेस्पों. का 1972 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि इनमीडियो नहीं है, खुर्द–बुर्द होने का कोई अंदेशा नहीं है। रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम उपाय है। किसी के शांतिपूर्वक कब्जा को जरिये रिसीवर बेदखल नहीं किया जा सकता। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955(रिसीवरी) का खारिज किया है जो अपीलांट अपनी ही कृषि भूमि की रिसीवरी का अनुतोष चाहा है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है जो रेस्पो. के कब्जे मे। है। अतः रेस्पों. विवादित भूमि को नष्ट, डेमेज एवं एलियेनेट करने पर आमादा है आशंका जाहिर की है बाबत सन्दर्भ विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212(1)(a)(b) की bare reading है कि 212–व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंधः–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथपत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि :–

(क) किसी सम्पति का जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पंहुचाने या अन्य संक्रात किये जाने का खतरा है, या

3/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(ख) ऐसे वाद का कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है तो न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

यह मानव स्वभाव है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पति से Attachment होता है अगर वह किसी अन्य के कब्जे में हो एवं मालिक की आशंका कि उसकी सम्पति दूसरे के हाथों सुरक्षित नहीं है। उन परिस्थितियों में विधि का उपरोक्त प्रावधान invoke योग्य है जिसमें रिसीवरी जैसा harsh निर्णय लिया जा सकता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के हिस्से तक की भूमि पर तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.10.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर